



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082022-238337
CG-DL-E-24082022-238337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3784]
No. 3784]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

का. आ. 3958(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुकों/मंडलों और गावों से सम्बंधित निचे दी गए अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड (जो "कंस्ट्रक्शन ओफ 3 लेन वेस्टर्न साइड फ्लाईओवर फ्रम डिजाइन कि.मी. 0.300 (एक्जिस्टिंग कि.मी. 1098.680 (बिफोर ज्योति महल जंक्शन)) टु डिजाइन कि.मी. 2.770 (एक्जिस्टिंग कि.मी. 1096.210 (बियांड रमेश हॉस्पिटल जंक्शन)) ओन एन्हेच्-16 इन दि स्टेट ओफ आंध्र प्रदेश ओन ईपीसी मोड" के परियोजना संरेखण में गिर रहा है) के संबंध इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	सब कलेक्टर, विजयवाड़ा ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH16 के कि.मी. 1098.68 से 1096.21 तक	आंध्र प्रदेश	एनटीआर	विजयवाड़ा पूर्व	<table><tr><td>1</td><td>विजयवाड़ा टाउन (वीएमसी)</td></tr><tr><td>2</td><td>गुनादला</td></tr></table>	1	विजयवाड़ा टाउन (वीएमसी)	2	गुनादला
1	विजयवाड़ा टाउन (वीएमसी)									
2	गुनादला									

[फा. सं. NHAI/NH16/WBCFO/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2022

S. O. 3958(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land falling in the Project alignment of 'Construction of 3 Lane Western Side Flyover from Design Km. 0.300 (existing Km. 1098.680 (Before Jyothi Mahal Junction) to Design Km. 2.770 (existing Km. 1096.210 (beyond Ramesh Hospital Junction)) on NH-16 in the State of Andhra Pradesh on EPC Mode' specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to districts, taluks/mandals and villages mentioned in columns (4), (5), (6) and (7) respectively of the Schedule for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the National Highway No.16 in the State of Andhra Pradesh

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No.16 in the State of Andhra Pradesh

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Sub Collector, Vijayawada ()	1098.68KM To 1096.21KM	ANDHRA PRADESH	NTR	Vijayawadad East	<table><tr><td>1</td><td>Vijayawada Town (VMC)</td></tr><tr><td>2</td><td>Gunadala</td></tr></table>	1	Vijayawada Town (VMC)	2	Gunadala
1	Vijayawada Town (VMC)									
2	Gunadala									

[F. No. NHAI/NH16/WBCFO/LA]

RAJESH GUPTA, Director